

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 411]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 1 अगस्त 2015— श्रावण 10, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2015

क्रमांक 7439/डी. 245/21-अ/प्रारू./छ.ग./ 15. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 30-07-2015 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 27 सन् 2015)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) अधिनियम, 2015

वित्तीय वर्ष 2015-16 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम. 1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2015 कहलाएगा.
- वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए राज्य की संचित निधि में से 13,40,80,78,130 रुपयों का दिया जाना. 2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए एक हजार तीन सौ चालीस करोड़ अस्सी लाख अठहत्तर हजार एक सौ तीस रुपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे.
- विनियोग. 3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)		(3)		
		रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	14,34,96,000	0	14,34,96,000
03	पुलिस	राजस्व	82,59,57,300	0	82,59,57,300
		पूंजी	1,00,00,000	0	1,00,00,000
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	5,27,02,830	0	5,27,02,830
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	5,00,000	0	5,00,000
08	भू राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	1,02,91,000	0	1,02,91,000
		पूंजी	1,71,98,00,000	0	1,71,98,00,000

(1)	(2)	(3)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	76,31,000	0	76,31,000
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	77,23,80,000	0	77,23,80,000
13	कृषि	राजस्व	51,45,31,100	0	51,45,31,100
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	4,22,87,100	0	4,22,87,100
16	मछली पालन	राजस्व	1,00,00,000	0	1,00,00,000
18	श्रम	राजस्व	100	0	100
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण.	राजस्व	5,56,50,100	80,00,000	6,36,50,100
		पूंजी	11,27,22,000	0	11,27,22,000
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	25,00,00,000	0	25,00,00,000
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	50,00,000	0	50,00,000
		पूंजी	50,00,200	0	50,00,200
23	जल संसाधन विभाग	पूंजी	25,00,000	0	25,00,000
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	21,00,00,100	0	21,00,00,100
		पूंजी	0	3,83,00,000	3,83,00,000
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	7,39,12,000	0	7,39,12,000
		पूंजी	4,00,00,000	0	4,00,00,000
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	20,91,50,000	0	20,91,50,000
		पूंजी	22,23,000	0	22,23,000
28	राज्य विधान मंडल	राजस्व	40,00,000	0	40,00,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	18,11,50,000	64,40,100	18,75,90,100
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	6,34,96,400	0	6,34,96,400
		पूंजी	100	0	100
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	54,90,000	0	54,90,000
36	परिवहन	राजस्व	76,00,000	0	76,00,000

(1)	(2)	(3)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय.	पूंजी	1,07,60,000	0	1,07,60,000
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	1,11,21,01,600	0	1,11,21,01,600
		पूंजी	1,23,66,77,200	0	1,23,66,77,200
43	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	500	0	500
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	पूंजी	1,00,00,000	0	1,00,00,000
47	तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग.	राजस्व	100	0	100
51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	पूंजी	25,00,000	0	25,00,000
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,94,25,000	0	1,94,25,000
		पूंजी	1,37,50,000	0	1,37,50,000
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	25,04,18,500	0	25,04,18,500
		पूंजी	53,76,61,100	0	53,76,61,100
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	6,00,000	0	6,00,000
		पूंजी	1,39,19,27,300	0	1,39,19,27,300
68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य - भवन.	पूंजी	9,24,00,000	0	9,24,00,000
71	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग.	राजस्व	53,44,50,000	0	53,44,50,000
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	12,44,16,100	0	12,44,16,100
		पूंजी	11,29,00,000	0	11,29,00,000
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	2,56,78,80,000	0	2,56,78,80,000
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	300	0	300
योग -		राजस्व	8,05,45,17,130	1,44,40,100	8,06,89,57,230
		पूंजी	5,30,08,20,900	3,83,00,000	5,33,91,20,900
वृहद योग -			13,35,53,38,030	5,27,40,100	13,40,80,78,130

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2015

क्रमांक 7439/डी. 245/21-अ/प्रास्./छ.ग./15. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 1-08-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 27 of 2015)

THE CHHATTISGARH APPROPRIATION (No.- 3) ACT, 2015

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh for the services of the Financial Year 2015-16.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows :-

- Short title.** 1. This Act may be called the Chhattisgarh Appropriation Act, 2015.
- Issue of Rs.13,40,80,78,130 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial year 2015-16.** 2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule, including the sums specified in column (3) of the Schedule of the Chhattisgarh Appropriation Act, amounting in the aggregate to the sums of One Thousand Three Hundred Fourty Crore Eighty Lakhs Seventy Eight Thousand One Hundred Thirty rupees towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2015-2016 in respect of services specified in column (2) of the Schedule.
- Appropriation.** 3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(See Section 2 and 3)

No. of Vote	Services and purposes		sums not exceeding		Total
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund (3)	
(1)	(2)		Rs.	Rs.	Rs.
01	General Administration	Revenue	14,34,96,000	0	14,34,96,000
03	Police	Revenue	82,59,57,300	0	82,59,57,300
		Capital	1,00,00,000	0	1,00,00,000

(1)	(2)		(3)		
			Rs.	Rs.	Rs.
06	Expenditure pertaining to Finance Department.	Revenue	5,27,02,830	0	5,27,02,830
07	Expenditure pertaining to Commercial Tax Department.	Revenue	5,00,000	0	5,00,000
08	Land revenue and district administration.	Revenue	1,02,91,000	0	1,02,91,000
		Capital	1,71,98,00,000	0	1,71,98,00,000
11	Expenditure pertaining to Commerce and Industry Department.	Revenue	76,31,000	0	76,31,000
12	Expenditure pertaining to Energy Department.	Revenue	77,23,80,000	0	77,23,80,000
13	Agriculture	Revenue	51,45,31,100	0	51,45,31,100
14	Expenditure pertaining to Animal Husbandry Department.	Revenue	4,22,87,100	0	4,22,87,100
16	Expenditure pertaining to Fisheries Department.	Revenue	1,00,00,000	0	1,00,00,000
18	Labour	Revenue	100	0	100
19	Public Health and Family Welfare.	Revenue	5,56,50,100	80,00,000	6,36,50,100
		Capital	11,27,22,000	0	11,27,22,000
20	Public Health Engineering	Revenue	25,00,00,000	0	25,00,00,000
21	Expenditure pertaining to Housing and Environment Department.	Revenue	50,00,000	0	50,00,000
		Capital	50,00,200	0	50,00,200
23	Water Resources Department.	Capital	25,00,000	0	25,00,000
24	Public works-roads and bridges.	Revenue	21,00,00,100	0	21,00,00,100
		Capital	0	3,83,00,000	3,83,00,000
26	Expenditure pertaining to Culture Department.	Revenue	7,39,12,000	0	7,39,12,000
		Capital	4,00,00,000	0	4,00,00,000
27	School Education	Revenue	20,91,50,000	0	20,91,50,000
		Capital	22,23,000	0	22,23,000

(1)	(2)		(3)		
			Rs.	Rs.	Rs.
28	State Legislature	Revenue	40,00,000	0	40,00,000
29	Administration of Justice and Elections.	Revenue	18,11,50,000	64,40,100	18,75,90,100
30	Expenditure pertaining to Panchayat and Rural Development Department.	Revenue	6,34,96,400	0	6,34,96,400
		Capital	100	0	100
31	Expenditure pertaining to Planning, Economics and Statistics Department.	Revenue	54,90,000	0	54,90,000
36	Transport	Revenue	76,00,000	0	76,00,000
39	Expenditure pertaining to Food Civil Supplies and Consumer Protection Department.	Capital	1,07,60,000	0	1,07,60,000
41	Tribal Areas Sub-plan	Revenue	1,11,21,01,600	0	1,11,21,01,600
		Capital	1,23,66,77,200	0	1,23,66,77,200
43	Expenditure pertaining to Sports and Youth Welfare Department.	Revenue	500	0	500
45	Minor Irrigation Works	Capital	1,00,00,000	0	1,00,00,000
47	Man-Power Planning and Technical Education Department.	Revenue	100	0	100
51	Expenditure pertaining to Religious Trusts and Endowments Department.	Capital	25,00,000	0	25,00,000
55	Expenditure pertaining to Women and Child Welfare.	Revenue	1,94,25,000	0	1,94,25,000
		Capital	1,37,50,000	0	1,37,50,000
64	Scheduled Caste Sub Plan	Revenue	25,04,18,500	0	25,04,18,500
		Capital	53,76,61,100	0	53,76,61,100
67	Public Works-Buildings	Revenue	6,00,000	0	6,00,000
		Capital	1,39,19,27,300	0	1,39,19,27,300
68	Public Works relating to Tribal Areas Sub-Plan-buildings.	Capital	9,24,00,000	0	9,24,00,000

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
			Rs.	Rs.	Rs.
71	Electronics and Information Technology	Revenue	53,44,50,000	0	53,44,50,000
79	Expenditure pertaining to Medical Education Department.	Revenue	12,44,16,100	0	12,44,16,100
		Capital	11,29,00,000	0	11,29,00,000
80	Financial assistance to Three tier Panchayati Raj Institutions.	Revenue	2,56,78,80,000	0	2,56,78,80,000
81	Financial assistance to Urban bodies.	Revenue	300	0	300
	Total -	Revenue	8,05,45,17,130	1,44,40,100	8,06,89,57,230
		Capital	5,30,08,20,900	3,83,00,000	5,33,91,20,900
	Grand Total -		13,35,53,38,030	5,27,40,100	13,40,80,78,130